उपायुक्त का न्यायालय, हजारीबाग

Mutation Revision Case No.-08/2017
अम्बिया देवी
–बनाम–
राज्य एवं अन्य (छत्रु यादव)

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
14/01/2024	प्रस्तुत मामला अपीलार्थी अम्बिया देवी द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर, हजारीबाग के द्वारा म्यूटेशन रिविजन वाद संख्या 09/2013 में दिनांक 02.06.2017 को पारित आदेश के विरूद्ध अपीलवाद दायर है। **निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से वाद की संक्षिप्त विवरणी इस प्रकार है:–** मौजा पहाड़पुर, थाना–बरही, थाना नं0–112, जिला–हजारीबाग के अन्तर्गत खाता नं0–33, प्लॉट नं0–37, रकबा–9.48 एकड़ मद्धे रकबा–4.74 ए0 भूमि का दाखिल खारिज 10/2002–03 अंचल अधिकारी, बरही ने जांचोपरान्त स्वत्व वाद का मामला बताते हुए दाखिल खारिज आवेदन को दिनांक 26.03.2003 को खारिज किया गया था, तदोपरान्त उक्त दाखिल खारिज के विरूद्ध आवेदिका ने दाखिल खारिज अपील वाद संख्या 05/03–04 तत्कालीन अनुमण्डल पदाधिकारी, बरही के यहां दाखिल किया जिसे दिनांक 02.07.2004 को पुनः सुनवाई हेतु अभिलेख अंचल अधिकारी, बरही को वापस भेजा गया जैसा कि अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बहस के क्रम में न्यायालय को अवगत कराया गया है जिसकी सत्यता हेतु कागजातों की छायाप्रति सूचीबद्ध दाखिल किया है जो अभिलेख में साक्ष्य के रूप में संलग्न है। अपीलार्थी द्वारा अंचल अधिकारी, बरही द्वारा दाखिल खारिज वाद संख्या 338/13–14 में दिनांक 21.08.2013 को पारित आदेश के विरूद्ध भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर, हजारीबाग के न्यायालय में अपील आवेदन दायर किया गया। जिसमें सुनवाई के उपरांत अंचल अधिकारी, बरही के दाखिल खारिज वाद संख्या 338/13–14 में दिनांक 21.08.2013 को पारित आदेश को यथावत रखते हुए आवेदिका के अपील आवेदन को निरस्त किया गया। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बरही के द्वारा पारित आदेश से असहमत होते हुए आवेदिका द्वारा यह अपीलवाद दाखिल किया गया है।	

उपायुक्त का न्यायालय हजारीबाग

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

1. अपीलार्थी का कहना है कि मौजा पहाड़पुर, थाना–बरही, थाना नं0–112, जिला–हजारीबाग के अन्तर्गत खाता नं0–33, प्लॉट नं0–37, रकबा–9.48 एकड़ भूमि सर्वे खतियान में मसो0 भगिया के नाम से दर्ज है। मसो भगिया के चार पुत्र हुए 1. रूपन महतो 2.भिखन महतो 3.बुधन महतो एवं झमन महतो। रूपन महतो एवं बुधन महतो नावल्द मृत हो गये। जिसके उपरान्त रूपन महतो एवं बुधन महतो के हिस्से की भूमि भीखन महतो एवं झमन महतो में निहित हो गयी। झमन महतो एवं भीखन महतो के हिस्से में 4.74 एकड़ भूमि हिस्से में आयी।
2. अपीलार्थी अम्बिया देवी, पति–चोली महतो, मौजा पहाड़पुर, थाना–बरही, थाना नं0–112, जिला–हजारीबाग के अन्तर्गत खाता नं0–33, प्लॉट नं0–37, रकबा–9.48 एकड़ मद्धे रकबा–4.74 ए0 भूमि निबंधित केवाला संख्या 13134 दिनांक 03.12.1988 द्वारा झमन महतो जो उक्त खाता प्लॉट की भूमि के एक हिस्सेदार थे, से खरीदगी की तिथि से दखलकार चली आ रही है।

   उक्त भूमि का दाखिल खारिज हेतु आवेदन किये जाने के क्रम में अंचल अधिकारी बरही ने अपने आदेश फलक पर उल्लेख किया है कि आवेदिका का भूमि पर दखल कब्जा नहीं है और विक्रेता के द्वारा अपने हिस्से से भी अधिक भूमि बिक्री किया गया है, नामान्तरण अस्वीकृत कर दिया गया।
3. अपीलार्थी का कहना है कि अंचल अधिकारी द्वारा नामन्तरण वाद को अस्वीकृत किये जाने के विरूद्ध विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर, हजारीबाग के न्यायालय में अपील वाद संख्या 09/13 दिनांक 12.06.2017 दाखिल किये जाने के क्रम में अपीलार्थी के द्वारा दिये गये तथ्यों एवं दस्तावेजों पर विचार नहीं करते हुए दाखिल खारिज अपील आवेदन खारिज कर दिया गया।
4. विपक्षी छत्रु महतो मौजा पहाड़पुर, थाना–बरही, थाना नं0–112, जिला–हजारीबाग के अन्तर्गत खाता नं0–33, प्लॉट नं0–37, रकबा–2.00 ए0 भूमि विक्रय विलेख संख्या–13199, दिनांक 06.12.1988 के द्वारा हासिल कर अपने नाम से नामान्तरण करा लिया जबकि उसका प्रश्नगत भूमि पर केवाला की तिथि से आज तक दखल कब्जा नहीं रहा है।

उपायुक्त का न्यायालय हजारीबाग

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

उपरोक्त तथ्यो को रखते हुए अपीलार्थी के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता द्वारा पारित आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

अपीलार्थी के उपरोक्त तथ्यों के प्रत्युत्तर में प्रतिवादी के द्वारा अपना पक्ष रखते हुए निम्न तथ्य प्रस्तुत किए गयेः–

1. अपीलार्थीयों द्वारा वर्तमान रिविजन याचिका कानूनी रूप से और न ही तथ्यात्मक रूप से विचारणी है और खारिज किये जाने योग्य है।
2. प्रतिवादी का कहना है कि पूर्व में अपीलार्थी के द्वारा अंचल अधिकारी, बरही के कार्यालय में दाखिल खारिज वाद संख्या 10/2002–03 दाखिल किया था एवं जिसमें स्थलीय जांचोपरान्त अपीलार्थी का प्रश्नगत भूमि पर दखल कब्जा नहीं पाये जाने के कारण दिनांक 26.03.2003 को वाद अस्वीकृत कर दिया गया था। जिसके उपरान्त अपीलार्थी अंचलाधिकारी के आदेश के विरूद्ध विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बरही के न्यायालय में दाखिल खारिज अपील वाद संख्या 05/2003–04 दाखिल किया। जिसमें सुनवाई उपरान्त विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बरही के द्वारा अपील आवेदन अचंल अधिकारी, बरही को रिमाण्ड कर दिया गया।
3. अपीलार्थी का कहना है कि मौजा पहाड़पुर, थाना–बरही, थाना नं0–112, जिला–हजारीबाग के अन्तर्गत खाता नं0–33, प्लॉट नं0–37, रकबा–9.48 एकड़ भूमि सर्वे खतियान में मसो0 भगिया के नाम से दर्ज है। मसो भगिया के चार पुत्र हुए 1. रूपन महतो 2.भिखन महतो 3.बुधन महतो एवं झमन महतो। रूपन महतो नावल्द एवं बुधन महतो अपने पीछे पत्नी मसो0 बन्धनी को छोडकर मृत हो गये । जिसके उपरान्त प्रश्नगत भूमि तीन हिस्सेदारों में विभाजित हुई। जिसमें प्रत्येक के हिस्से में 3.16 एकड़ भूमि प्राप्त हुई।
4. अपीलार्थी ने धोखाधड़ी करके झमन महतो से विक्रय पत्र संख्या 13134 दिनांक 03.12.1988 के द्वारा मौजा पहाड़पुर, थाना–बरही, थाना नं0–112, जिला–हजारीबाग के अन्तर्गत खाता नं0–33, प्लॉट नं0–37, रकबा–9.48 मद्धे 4.74 ए0 भूमि क्रय कर लिया।

उपायुक्त का न्यायालय हजारीबाग

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

झमन महतो द्वारा इसकी जानकारी होने पर डीड केन्सीलेशन नं0 13182 दिनांक 5.12.1988 के द्वारा उक्त विक्रय विलेख रद्द कर दिया।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी को कथित विक्रय पत्र दिनांक 03.12.1988 के द्वारा भूमि पर कभी भी कब्जा नहीं मिला जिसपर विद्वान अंचल अधिकारी द्वारा दाखिल खारिज आवेदन अस्वीकृत किया जाना उचित प्रतीत होता है।

5. प्रतिवादी का अग्र कथन है कि झमन महतो पिता–स्व0 लाटो गोप के द्वारा प्रश्नगत भूमि के प्लॉट संख्या 37 अन्तर्गत रकबा 2.00 एकड़ भूमि गिफ्ट डीड संख्या 13199 दिनांक 06.12.1988 के द्वारा प्रतिवादी को हासिल है जिसका नामान्तरण कराकर लगान रसीद प्राप्त कर उक्त भूमि के दखल कब्जे में हैं। प्रतिवादी और कोई नहीं नहीं बल्कि भीखन महतो के पुत्र है जिसे प्लॉट नं0–37 की भूमि पिता के हिस्से के अनुसार विरासत में मिली हुई है।

उपरोक्त तथ्यों को रखते हुए अपीलार्थी के आवेदन को खारिज करने हेतु अनुरोध किया गया।

अंचल अधिकारी, बरही, हजारीबाग के पत्रांक 327 दिनांक 19.04.2023 के द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया जिसमें उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया है किः–

(1) मौजा पहाड़पुर, थाना–बरही, थाना नं0–112, जिला–हजारीबाग के अन्तर्गत खाता नं0–33, प्लॉट नं0–37, रकबा–9.48 एकड़ भूमि, काबिल लगान मो0 भगीया पति लाटो गोप के नाम पर दर्ज है।

प्रश्नगत विवाद अम्बिया देवी के पति चोलो महतो एवं छत्रु महतो के बीच है, दोनों आपस में भाई हैं।

(2) अम्बिया देवी पति चोलो महतो के द्वारा अपने ही गोतिया झमन महतो से केवाला संख्या–13134, दिनांक 03.12.1988 से प्लॉट संख्या–37 से 4.74 एकड़ भूमि खरीद किया। ग्रामीणों के द्वारा बतलाया गया कि झमन महतो अपने हिस्से से ज्यादा भूमि का केवाला किये थे, इसलिए केवाला के बाद पुनः केवाला को उनके द्वारा रद्द किर दिया गया। जिसका रद्द पत्र संख्या–13182,

उपायुक्त का न्यायालय हजारीबाग

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

दिनांक 05.12.1988 है। रद्द पत्र संख्या 13182 दिनांक 05.12.1988 के द्वारा 4.74 ए0 भूमि में सिर्फ 2.00 एकड़ भूमि को रद्द किया गया है।

(3) उक्त केवाला रद्द करने के पश्चात् पुनः झमन महतो के द्वारा केवाला संख्या–13199, दिनांक–06.12.1988 से प्लॉट संख्या–37 में ही 2.00 एकड़ भूमि छतरू यादव, पिता–भीखन यादव को बिक्री कर दिया। तत्पश्चात् क्रेत्ता छतरू यादव के नाम से मांग पंजी–II के पेज नं0–81/1 रसीद निर्गत हो रहा है।

(4) श्रीमती अम्बिया देवी ने रद्द किये गये केवाला के नामान्तरण हेतु आवेदन दिया जिसका नामान्तरण वाद संख्या–10/2022–23 था। उक्त नामान्तरण को अंचल अधिकारी, बरही के द्वारा खारिज कर दिया गया।

(5) श्रीमती अम्बिया देवी ने नामान्तरण हेतु पुनः आवेदन किया जिसका वाद संख्या–338/2013–14 था। उक्त वाद को हिस्से से अधिक भूमि बिक्री होने के कारण अस्वीकृत कर दिया गया।

(6) श्रीमती अम्बिया देवी ने भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बरही के न्यायालय में नामान्तरण वाद संख्या–338/2013–14 में पारित आदेश के विरूद्ध अपील किया गया। जिसमें सुनवाई के पश्चात भूमि सुधार उप समाहर्त्ता ने उक्त वाद में पारित आदेश को यथावत रखा तथा अपील को निरस्त कर दिया गया।

(7) वर्तमान में मांग पंजी–II के पेज संख्या–33/1 में खाता संख्या–33 रकबा–7.48 एकड़ भूमि का मांग चोलो महतो वो छतरू यादव पिता–भिखन महतो के नाम से तथा पेज संख्या–81/1 में 2.00 एकड़ भूमि का मांग श्री छतरू यादव पिता–भिखन महतो के नाम से चल रहा है।

(8) स्थल जांच के क्रम में स्थानीय जांच से ज्ञात हुआ की पुरा भूमि जो एक ही प्लॉट संख्या–37 से संबंधित है, पर दोनों भाईयों का दखल है जिसपर खेती की जा रही है।

उपायुक्त का न्यायालय हजारीबाग

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्क,अंचल अधिकारी, बरही से प्राप्त प्रतिवेदन तथा अभिलेखबद्ध कागजात के अवलोकनोपरांत निम्न तथ्य स्पष्ट होता है:–

(1) मौजा पहाड़पुर, थाना–बरही, थाना नं0–112, जिला–हजारीबाग के अन्तर्गत खाता नं0–33, प्लॉट नं0–37, रकबा–9.48 एकड़ भूमि, काबिल लगान मो0 भगीया पति लाटो गोप के नाम पर दर्ज है जो आवेदिका की परदादी सास है। मसो0 भगिया का वंशावली निम्नवत है:–

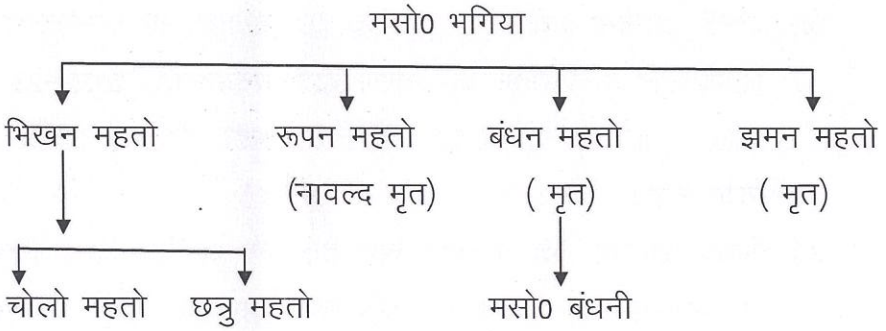

(2) अंचल अधिकारी, बरही द्वारा दाखिल खारिज वाद संख्या 10/2002–03 के अवलोकन से पता चलता है कि प्रश्नगत भूमि का लगान निर्धारण वाद संख्या 24/86–87 के द्वारा चोलो महतो, छत्रु महतो दोनों पिता–भिखन महतो वो रूपन महतो, झमन महतो दोनो पिता–लाटो महतो के नाम दर्ज हुआ है, जिसका उद्धरण पंजी II पर दर्ज है।

उक्त लगान निर्धारण वाद के द्वारा मात्र तीन वारिसान के पक्ष में लगान निर्धारण हुआ है। इस प्रकार प्रत्येक के हिस्से में 9.48 का तीसरा भाग अर्थात 3.16 ए0 होता है, जबकि विक्रेता झमन महतो के द्वारा 4.74 ए0 भूमि आवेदिका को बेची गई है। इसमें से भी रद्द पत्र केवाला के द्वारा छत्रु महतो को 2.00 ए0 भूमि दे दी गई तथा शेष 2.74 ए0 भूमि आवेदिका अम्बिया देवी का बताया गया है जबकि लगान निर्धारण के अनुसार झमन महतो को 3.16 ए0 भूमि ही बेचेने का अधिकार था।

उपायुक्त का न्यायालय हजारीबाग

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत भूमि के चार वारिसान में से तीन वारिसान के पक्ष में लगान निर्धारण हुआ है। छुटे हुए वारिसान में से मसो0 बन्धनी पति–बन्धन महतो के प्रश्नगत भूमि पर हक वो हिस्सेदारी से इन्कार नहीं किया जा सकता।

(3) झमन महतो के द्वारा अपने हिस्से से अधिक भूमि बिक्री करने का अधिकार था अथवा नहीं, इसे सक्षम व्यवहार न्यायालय ही निर्णय कर सकता है।

(4) स्थलीय जांच मे प्रश्नगत भूमि एक ही प्लॉट संख्या–37 से संबंधित है, जिसपर दोनों भाईयों का दखल है जिसपर खेती की जा रही है।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुनने तथा अभिलेखबद्ध कागजातों के अवलोकन के पश्चात सम्यक विवेचनोपरान्त अपीलार्थी के इस पूरे मामले में विवाद एवं जटिलता को देखते हुए यह मामला स्वत्व के निर्धारण से संबंधित प्रतीत होता है।

अतः उभय पक्ष मामले में स्वत्व निर्धारण हेतु सक्षम व्यवहार न्यायालय में पहल करने हेतु स्वतंत्र हैं।

इस आशय के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेश की प्रति सभी संबंधित को भेजी जाय।

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त, हजारीबाग।

उपायुक्त, हजारीबाग।

उपायुक्त का न्यायालय हजारीबाग

Digitally signed by NANCY SAHAY
Date: 2024.07.12 17:38:12 +05:30
Location: 192.168.1.6